**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.**

वादपत्र संख्या 117/2017
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कोडाराम आत्मजन श्री कालूराम, ओड राजपूत, खाट लबाना
2. रमेशकुमार आत्मजन श्री कालूराम, ओड राजपूत, खाट लबाना हाल वार्ड नम्बर 20 तूरनगर, तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद,
3. हरबंससिंह आत्मज श्री पंजुराम ओड राजपूत, खाट लबाना हाल चक 7 बी.बी. रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर,
4. राकेश आत्मज श्री पंजुराम ओड राजपूत, खाट लबाना हाल चक 7 बी.बी. रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर,

**...वादीगण**

बनाम

1. लक्ष्मणराम आत्मज श्री कालूराम, ओड राजपूत, खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. इकबालसिंह आत्मज री सरदूलसिंह, जटसिख, 2 जी बड़ी खाटलबाना,
3. सुरेशकुमार आत्मज श्री कोडाराम, ओड राजपूत, खाटलबाना,
4. नवीन आत्मज श्री कोडाराम, ओड राजपुत, खाटलबाना,
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
6. सतनामसिंह आत्मज श्री सरदूलसिंह, जटसिख, चक 2 जी बड़ी ढाणी.

**..प्रतिवादीगण**

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित– | श्री संजय जनवेजा | (वादीगण) |
| | श्री राजकुमार नागपाल | (प्रतिवादी–1,2एवं6) |
| | श्री रोबिन गुम्बर | (प्रतिवादी–3व4) |
| | पैरोकार राज | (प्रतिवादी–5) |

**दिनांक 04 सितम्बर, 2018**

**– निर्णय –**

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 2 जी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 17/11 मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 1 से 20 की 5.008 हैक्टर कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) वादीगण एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज है. पूर्व में में प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण के पिता श्री कालूराम आत्मज श्री खमीशाराम के नाम से दर्ज था. जिनकी मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुआ. वादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि में से 0.509 हैक्टर [illegible] प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को उपहार स्वरूप दिया तथा वादी [illegible] व 4 के भाई श्री हंसराज द्वारा अपने हिस्सा की .0.417 हैक्टर कृषि भूमि [illegible] संख्या 2 को विक्रय कर दी गयी. वर्तमान में, वादी संख्या 1 के नाम 0.746 हैक्टर, वादी संख्या 2 के नाम पर 1.252 हैक्टर, वादी संख्या 3 के नाम पर 0.4175 हैक्टर एवं वादी संख्या 4 के नाम पर 0.4175 हैक्टर दर्ज है. इसी संयुक्त खाता के शेष कृषिभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1.252 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 श्री इकबालसिंह के नाम पर 0.417 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम पर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested

0.506 हैक्टर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री कालूराम द्वारा करीब 30 वर्ष पूर्व अपने जीवनकाल में ही उक्त वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य घरू बंटवारा किया गया तथा तत्समय से ही पक्षकारान घरू बंटवारा के अनुसार अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं. जिसके अनुसार वादी संख्या 1 श्री कोडाराम, प्रतिवादी संख्या 3 श्री सुरेशकुमार व प्रतिवादी संख्या 4 श्री नवीन , किला नम्बर 1 से 4 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 5/1(0.240) कुल 1. 252 हैक्टरा जिसमें से वादी श्री कोडाराम की 0.746 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की 0.506 हैक्टर बहिस्सा बराबर बराबर पर, वादी संख्या 2 श्री रमेशकुमार किला नम्बर 6/1(0.240), किला नम्बर 7 से 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 1.252 हैक्टर पर, वादी संख्या 3 व 4 श्री हरबन्स एवं श्री राजेशकुमार किला नम्बर 12/2(0.089)(किला नम्बर 13 के साथ चिपता हुआ), किला नम्बर 13 व 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15/1(0.240) कुल 0.835 हैक्टर पर एवं शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज चले आ रहे हैं. मौका पर वादीगण की फसलें खड़ी हैं. पिछले काफी समय से वादीगण द्वारा उक्त वर्णित हिस्सा के अनुसार कृषि भूमि पर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहे हैं. जिस पर वादीगण द्वारा भारी मेहनत एवं राशि का व्यय कर उक्त कृषि भूमि पर सुधार कार्य करवाये जाकर उपजाउ बनाया गया है. वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि में और सुधार कार्य करवाना एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं किन्तु कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने से न तो सुधार कार्य किये जा पा रहे हैं इसके अतिरिक्त मामला, लगान की अदायगी, पानी की बारी के समय आदि को लेकर विवाद बना रहता है इसलिये वादीगण अपने हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन करवाकर किलावाईज कृषि भूमि पृथक पृथक खाता में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को पृथक पृथक खाता कायम करवाने हेतु कई बाद आग्रह करने पर पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे किन्तु दिनांक 15 अक्तूबर, 2017 को प्रतिवादीगण द्वारा सहमति से विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा एकराय होकर एलानिया तौर पर धमकी दी गयी कि खाता विभाजित नही करायेगें, सांझा खाता में ही अच्छी अच्छी कृषि भूमि का विकय कर देंगे. यही वादहेतुक उपलब्ध है. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रश्नगत संयुक्त खाता की कृषि भूमि की बिकवाली निकाल रखी है यदि प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी वहीं, अकारण ही वाद बाहुल्यता बढेगी. इस प्रकार वादीगण द्वारा वादी संख्या 1 श्री कोडाराम, प्रतिवादी संख्या 3 श्री सुरेशकुमार व प्रतिवादी संख्या 4 श्री नवीन , किला नम्बर 1 से 4 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 5/1(0.240) कुल 1.252 हैक्टरा जिसमें से वादी श्री कोडाराम की 0.746 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की 0.506 हैक्टर बहिस्सा बराबर बराबर पर, वादी संख्या 2 श्री रमेशकुमार किला नम्बर 6/1(0.240), किला नम्बर 7 से 10 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 1. 252 हैक्टर पर, वादी संख्या 3 व 4 श्री हरबन्स एवं श्री राजेशकुमार किला नम्बर 12/2(0.089)(किला नम्बर 13 के साथ चिपता हुआ), किला नम्बर 13 व 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15/1(0.240) कुल 0.835 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर किलावाईज विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किये जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त एवं काश्त की गयी भूमि में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहें. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 2 जी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 6 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

आवेदक श्री सतनामसिंह आत्मज श्री सरदूलसिंह द्वारा उपस्थित आकर आवेदनपत्र दिनांक 1 जनवरी, 2018 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र चक 2 जी बड़ी के खाता सख्या 17/11 के मुरब्बा नम्बर 48 के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है. जबकि चक 2 जी बड़ी के खाता संख्या 17/11 मुरब्बा नम्बर 48 में आवेदक के नाम पर 0.253 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है जो आवेदक द्वारा श्री लक्ष्मणराम आत्मज श्री कालूराम से दिनांक 6 नवम्बर, 2017 को क्रय की गयी है. इस प्रकार आवेदक के कब्जा काश्त में क्रयाधीन चक 2 जी बड़ी के खाता संख्या 17/11 मुरब्बा नम्बर 48 की 0.253 हैक्टर कृषि भूमि पर कब्जा चला आ रहा है. किन्तु वादीगण द्वारा आवेदक को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया. जबकि आवेदक विचाराधीन प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है. मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णय का सीधा प्रभाव आवेदक के हितों पर पड़ेगा. इसलिये आवेदक को विचाराधीन प्रकरण में कानूनन पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है. इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में स्थापित किये जाने का निवेदन किया गया. जिसपर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक श्री सतनामसिंह आत्मज श्री सरदूलसिंह को प्रतिवादी संख्या 6 स्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 6 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र के किसी भी तथ्य का कोई विरोध नहीं किया गया. इस प्रकार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर किलावाईज विभाजन की डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 6 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 6 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 श्री हरबंस एवं श्री राजेशकुमार किला नम्बर 12/2 की 0.089 हैक्टर, किला नम्बर 13 एवं 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15/1(0.240) हैक्टर कुल 0.835 हैक्टर पर काबिज है जबकि किला नम्बर 14 की 0.177 हैक्टर एवं किला नम्बर 15/1(0.240) हैक्टर कुल 0.417 हैक्टर कृषि भूमि पर दिनांक 17 नवम्बर, 2014 से प्रतिवादी संख्या 2 श्री इकबालसिंह काबिज चला आ रहा है जिसके द्वारा मौका पर काश्त की हुई है. प्रतिवादी श्री इकबालसिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि श्री हंसराज आत्मज श्री पंजूराम से दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को क्रय किया गया था जिसकी बाबत श्री हंसराज द्वारा श्री इकबालसिंह के पक्ष में दस्तावेज विक्रय विलेख निष्पादित किया जाकर [illegible] प्रस्तुत किया गया था. प्रतिवादी संख्या 1 श्री लक्ष्मणराम के [illegible] मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 16 से20 प्रत्येक 0.202 हैक्टर कुल [illegible] हैक्टर कृषि भूमि का कब्जा है. प्रतिवादी संख्या 6 श्री सतनामसिंह के पास मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक 0.051 हैक्टर कुल 0.253 हैक्टर कृषि भूमि पर कब्जा है जिसके द्वारा उक्त कृषि भूमि श्री कालूराम से दिनांक 3 अक्तूबर, 2017 को क्रय की गयी है. काउण्टरक्लेम में अंकित किया गया कि श्री इकबालसिंह के पास संयुक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 14(0.177) हैक्टर, किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 15/1(0.177) हैक्टर कुल 0.417 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है जिसे श्री हंसराज आत्मज श्री पंजूराम से दिनांक 17 जनवरी, 2014 को क्रय किया गया है. वर्तमान में प्रतिवादी संख्या संख्या 2 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 14(0.177) हैक्टर किला नम्बर 15/1(0.240) हैक्टर कुल 0.417 हैक्टर चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 की मौका पर काश्त है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखानुसार मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक 0.202 हैक्टर कुल 0.999 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है जिसपर उसका कब्जा चला आ रहा है. प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक में 0.051 हैक्टर कुल 0.253 हैक्टर दर्ज है तथा वर्तमान समय में किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक में 0.051 हैक्टर कुल 0.253 हैक्टर पर ही कब्जा काश्त है. प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 6 उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वर्षो से काबिज चले आ रहे हैं जिसे उनके द्वारा सुधार का कृषि योग्य बनाया गया है किन्तु संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण उन्हें मामला, लगान, पानी की बारी के समय को लेकर विवाद बना रहता है.जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं 6 वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा के अनुसार ही विभाजन करवाकर किलावाईज अपने अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. इस प्रकार काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया. काउण्टरक्लेम के तथ्यों के समर्थन में श्री हंसराज द्वारा निष्पादित हलफनामा दिनांक 17 नवम्बर, 2014, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 एवं चक 2 जी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादीगण की ओर से जवाब काउण्टरक्लेम दिनांक 11 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में श्री इकबालसिंह के नाम पर मुरब्बा नम्बर 48 किला नम्बर 14(0.177) हैक्टर किला नम्बर 15/1(0.240) हैक्टर कुल 0.417 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज नहीं है बल्कि संयुक्त खाता में दर्ज है किला नम्बर 14 एवं 15 की भमि पर वादी संख्या 3 व 4 काफी समय से काबिज हैं. प्रतिवादी श्री इकबालसिंह द्वारा हंसराज से संयुक्त खाता की कृषि भूमि क्रय की गयी थी तथा क्रय तिथि से ही श्री इकबालसिंह किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टर एवं किला नम्बरा 12 की 0.164 हैक्टर कुल 0.417 हैक्टर कृषि भमि पर काबिज है. इस प्रकार काउण्टरक्लेम निरस्त करने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

पत्रावली वास्ते जवाब राज्यपक्ष निश्चित की गयी किन्तु पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, जवाब वादपत्र एवं काउण्टरक्लेम के अनुसार चूंकि राज्यपक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया ऐसी स्थिति में, जवाब राज्यपक्ष अपेक्षित नही रहा.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 1 से 4, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 चक 2 जी बड़ी के संयुक्त खाता संख्या 17/11 में अपने अपने हिस्सा अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी घोषित किये जाने योग्य हैं.

## ।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान को चक 2 जी बड़ी के संयुक्त खाता संख्या 17/11 में अपने अपने हिस्सा के अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी घोषित किया जाता है. आदेश की एक प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित हो. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे.यथा प्रारम्भिक डिक्री जारी हो.

आदेश खुले न्यायालय में अधिवक्तागण की उपस्थिति में आज दिनांक 4 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

( सौरभ स्वामी )
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
( फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.**

1. कोडाराम आत्मजन श्री कालूराम, ओड राजपूत, खाट लबाना
2. रमेशकुमार आत्मजन श्री कालूराम, ओड राजपूत, खाट लबाना हाल वार्ड नम्बर 20 तूरनगर, तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद,
3. हरबंससिंह आत्मज श्री पंजुराम ओड राजपूत, खाट लबाना हाल चक 7 बी.बी. रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर,
5. राजेश आत्मज श्री पंजुराम ओड राजपूत, खाट लबाना हाल चक 7 बी.बी. रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर,

...वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मणराम आत्मज श्री कालूराम, ओड राजपूत, खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगगानगर
2. इकबालसिंह आत्म्ज री सरदूलसिंह, जटसिख, 2 जी बड़ी खाटलबाना,
3. सुरेशकुमार आत्मज श्री कोडाराम, ओड राजपूत, खाटलबाना,
4. नवीन आत्मज श्री कोडाराम, ओड राजपुत, खाटलबाना,
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
6. सतनामसिंह आत्मज श्री सरदूलसिंह, जटसिख, चक 2 जी बड़ी ढाणी.

..प्रतिवादीगण

**वादपत्र संख्या 117/2017**
**अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम**

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री राजकुमार नागपाल प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं 6, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 3, 5 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–5) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

**वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान को चक 2 जी बड़ी के संयुक्त खाता संख्या 17/11 में अपने अपने हिस्सा के अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी घोषित किया जाता है.**

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

| वादी | राशि (00.00) | प्रतिवादी | राशि (00.00) |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प वादपत्र | 00.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00.00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 00.00 | स्टाम्प आवेदनपत्र | 00.00 |
| स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य | 00.00 | वकील शुल्क | 00.00 |
| वकील शुल्क | 00.00 | व्यय साक्षीगण | 00.00 |
| व्यय साक्षीगण | 00.00 | [illegible] | 00.00 |
| आयुक्त शुल्क | 00.00 | इज[illegible] | 00.00 |
| **कुल** | 00.00 | [illegible] | **00.00** |

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.14 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested